क्रम—संख्या—168(क—7)

रजि0 नं0 एल. डब्लू. / एन.पी., 890
लाइसेन्स नं0 डब्लू0, पी0—41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 14 जुलाई, 2005
आषाढ 23, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
राजस्व अनुभाग—4

....

संख्या—1769 / 1—4—05—134बी—4—2002
लखनऊ, 14 जुलाई, 2005

....

अधिसूचना

सा0प0नि0—18

उत्तर प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1901) की धारा 234 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, और इस संबंध में पूर्व में बनाये गये नियामों और दिये गये आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के किसानों / भू स्वामियों को अधिकारों के कम्प्यूटरीकरण अभिलेख के निर्गमन को विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः—

उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 कही जायेगी।

2— यह उन सभी क्षेत्रों में लागू होगी जहां उत्तर प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1901 या कोई भी सहायक नियम लागू है।

3—यह किसी जिले में उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत होगी।

परिभाषाएं

2—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1901 से है,

(ख) 'कम्प्यूटरीकृत खतौनी' का तात्पर्य उस खतौनी से है, जो तहसील

कम्प्यूटर केन्द्र पर कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार की गयी हो और रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित हो,

(ग) 'हितबद्ध व्यक्ति' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसका नाम खतौनी में दर्ज किया गया हो,

(घ) 'नियमावली' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियामवली, 2005 से है।

जिलाधिकारी द्वारा अधिकारों के अभिलेख का रखा जाना

3—(1) जिलाधिकारी अधिनियम की धारा 32 और 33 के अधीन कम्प्यूटर की सहायता से अधिकारों का अभिलेख (खतौनी) रखेगा और उसे अद्यतन बनायेगा।

(2) राजस्व परिषद उप नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारों के अभिलेखों के उचित रखरखाव और उसे अद्यतन बनाए रखने के लिए आवश्यक कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार करेगा।

(3) प्रत्येक गांव के लिए कम्प्यूटरीकृत खतौनी की दो प्रतियां भूमि अभिलेख संग्रह के पैरा क—121 में उल्लिखित प्रपत्र पी0ए0—11 में तैयार की जाएगी। रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित एक प्रति संबंधित लेखपाल को दी जायेगी। एक द्वितीय प्रमाणित प्रति तहसील अभिलेखागार में परिरक्षित की जाएगी। ऐसे कछारी गांवों में जहां कछारी भाग को बन्दोबस्त में पृथक किया गया है, वहां ऐसे कछारी भाग के लिए एक पृथक खतौनी तैयार की जाएगी।

(4) उपनियम (3) के अधीन तैयार की गयी कम्प्यूटरीकृत खतौनी लेखपाल द्वारा छः वर्ष तक रखी जायेगी। तत्पश्चात लेखपाल उसे अभिलेखागार को पारेषित करेगा और नई प्रमाणित एवं अद्यतन कम्प्यूटरीकृत खतौनी प्राप्त करेगा।

(5) रजिस्ट्रार कानूनगो चकबंदी कार्यवाही का अभिलेख संक्रिया के पश्चात 'जिल्द बन्दोबस्त' प्राप्त करके ऊपर निर्दिष्ट उपनियम (3) के अधीन ग्राम की कम्प्यूटरीकृत खतौनी तैयार करेगा।

(6) कम्प्यूटरीकृत खतौनी के अद्यतन अभिलेखों को एक बार लिखी जाने वाली कम्पैक्ट डिस्क पर प्रत्येक सप्ताह के अन्तिम कार्य दिवस को उतारा जाएगा और ऐसी प्रति को तहसील अभिलेखागार के दो कुंजियों वाले ताले (डबल लाक) में रखा जाएगा। डबल लाक का संचालन तहसीलदार और रजिस्ट्रार कानूनगों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह को तैयार की गयी कम्पैक्ट डिस्क की एक प्रति अभिलेख के लिए जिला अभिलेखागार में भी भेजी जाएगी।

अधिकारों के अभिलेखों का अद्यतनीकरण

4—(1) भू—अभिलेख नियम संग्रह के प्रस्तर क—155—क में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारियों से आदेश प्राप्त होने पर कम्प्यूटर में नामान्तरण (दाखिल—खारिज) से संबंधित प्रविष्टियां रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा या उसके समकक्ष अभिलेख संवर्ग के ऐसे राजस्व कार्मिक द्वारा अविलम्ब की जाएगी जिसे परगना मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो।

(2) रजिस्ट्रार कानूनगों प्रतिदिन कम्प्यूटर कक्ष बन्द होने के पूर्व कम्प्यूटर में की गयी प्रविष्टियों की शुद्धता को प्रमाणित करके उसे कम्प्यूटर में लाक कर देगा। उसके पश्चात किसी प्रविष्टि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित प्रत्येक दाखिल–खारिज आदेश की दो प्रतियां प्रत्येक दिन क्रमानुसार मुद्रित की जाएगी। रजिस्ट्रार, कानूनगों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित ऐसी एक प्रति तहसील अभिलेखागार में परिरक्षित की जाएगी और दूसरी हस्ताक्षरित प्रति संबंधित लेखपाल को उपलब्ध करायी जाएगी।

(4) लेखपाल इस दाखिल–खारिज पर्ची के बायें भाग को खतौनी में सुसंगत खाता के पार्श्व पृष्ठ पर चस्पा या नत्थी करेगा और खाता के सामने संदर्भ संख्या अंकित करेगा।

अधिकारों के अभिलेख की विधि मान्यता

5–(1) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से खतौनी का केवल कम्प्यूटरीकृत उद्धरण जारी किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी उद्धरण की विधिक मान्यता होगी और उसे सभी प्रयोजनों के लिए अधिकारों की सत्यापित प्रति के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

अधिकारों के अभिलेख का निरीक्षण और उद्धरण

6–(1) लेखपाल अपनी उपस्थिति में हितबद्ध व्यक्ति को कम्प्यूटरीकृत खतौनी का निःशुल्क निरीक्षण करने की अनुमति देगा। यह ऐसे निरीक्षण के बारे में अपनी दैनन्दिनी में उल्लेख करेगा।

(2) प्रत्येक लेखपाल किसी आवेदक की बन्दोबस्त, चकबंदी, खतौनी और बंटवारा संबंधी अभिलेखों को छोड़कर, अभिलेखों का प्रमाणित उद्धरण जारी करेगा और नीचे उल्लिखित प्रति उद्धरण के लिए कागज के मूल्य को (सम्मिलित करते हुए) 5 रूपये की रकम प्रभारित करेगाः–

(क) एक खाता खेवट

(ख) एक खतौनी, खाता, जिसमें, यथास्थिति, एक या सभी गाटे सम्मिलित हो, सकते हैं, से संबंधित खसरा के उद्धरण,

(3) किसी आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ 15 रूपये की रकम जमा करके कम्प्यूटरीकृत खतौनी का एक उद्धरण तहसील काउन्टर से तत्काल प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे उद्धरण पर काउन्टर पर उपस्थित कार्मिक का नाम और दिनांक सहित हस्ताक्षर अंकित होगा।

(4) बैंक में एक पृथक खाता रखा जाएगा, जिसका संचालन परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और उपनियम (3) के अधीन प्राप्त धनराशि प्रतिदिन इस खाते में जमा की जाएगी। इस धनराशि का व्यय राजस्व परिषद के निर्देश के अधीन कम्प्यूटर के रख–रखाव और अद्यतनीकरण पर किया जाएगा।

(5) ऐसे काश्तकार जो तहसील नहीं आ सकते, अपने जोत का विवरण देते हुए आवश्यक शुल्क के साथ अपना आवेदन लेखपाल को प्रस्तुत कर सकते है। अगले दिन जब लेखपाल शासकीय कार्य हेतु तहसील आयेगा, तो वह शुल्क को जमा करेगा और अपेक्षित उद्धरण प्राप्त कर लेगा। काश्तकार को अपेक्षित उद्धरण यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा। लेखपाल अपनी दैनन्दिनी में ऐसे काश्तकार का नाम, जमा की गयी धनराशि, दिनांक और जोत संख्या की प्रविष्टि करेगा और काश्तकार को उद्धरण प्रदान करते समय इस प्रविष्टि के सम्मुख काश्तकार का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

(6) लेखपाल आवश्यक शुल्क प्राप्त करने के दिनांक से 15 दिन के भीतर काश्तकार को कम्प्यूटरीकृत खतौनी का उद्धरण उपलब्ध कराएगा।

इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात प्रभाव

7—इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर भू—अभिलेख नियम संग्रह के सभी ऐसे नियम जो इस नियमावली से असंगत है, निष्प्रभावी हो जाएगें।

आज्ञा से,
कपिल देव,
प्रमुख सचिव।

क्रम—सं0—240(क—4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस0एस0पी0 / एल0

डब्लू0 / एन0पी0 / 91 / 2008—10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 01 जुलाई, 2009

आषाढ़ 10, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग—4

....

संख्या—1748 / 1—4—08—134—बी—4—2002

लखनऊ, 01 जुलाई, 2009

....

अधिसूचना

सा0प0नि0—35

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1901 (यू0पी0 ऐक्ट सं0 3, सन् 1901) की धारा 234 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियामावली बनाते हैः—

उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (प्रथम संशोधन)

नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2009 कही जायेगी।

(2) यह उन सभी क्षेत्रों में लागू होगी जहां यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1901 या कोई भी सहायक नियम लागू है।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम—6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 में नियम—6 में—

(क) नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया

उपनियम (4) रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपनियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
(4) बैंक में एक पृथक खाता रखा जायेगा, जिसका संचालन परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा और उप नियम (3) के अधीन प्राप्त धनराशि प्रतिदिन इस खाते में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय राजस्व परिषद के निर्देश के अधीन कम्प्यूटर रख–रखाव और अद्यतनीकरण पर किया जायेगा।	(4) बैंक में एक पृथक खाता रखा जायेगा, जिसका संचालन परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा और उप नियम (3) के अधीन प्राप्त धनराशि प्रतिदिन इस खाते में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय राजस्व परिषद के निर्देश के अधीन तहसील कम्प्यूटर केन्द्र के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, अनुरक्षण एवं संचालन संबंधी कार्यों पर किया जायेगा।

(ख) उपनियम–6 के पश्चात निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे अर्थात–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपनियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
नये उपनियम 7, 8 व 9 को बढ़ाया जायेगा।	(7) कलेक्टर/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के आदेशानुसार कम्प्यूटरीकृत खतौनी का उद्धरण शासकीय प्रयोजनार्थ निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। (8) प्रयोक्ता प्रभार से प्राप्त समस्त धनराशि एवं ऐसी जमा/प्राप्तियों के सापेक्ष व्यय किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्ययों का समुचित खाता/लेखा विवरण रखा जायेगा। (9) प्रयोक्ता प्रभारों की समस्त प्राप्तियों एवं उसके सापेक्ष किये गये समस्त व्ययों का सम्परीक्षण प्रत्येक वर्ष महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,
गोविन्दन नायर,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1748/I-4-08-134B-4-2002, dated July 01, 2009:

No. 1748/I-4-08-134B-4-2002
Dated Lucknow, July 01, 2009

IN exercise of the powers under clauses (b) and (d) of sub-section (1) of section 234 of the U.P. Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act no. III of 1901) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (UP Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) rules, 2005:-

THE UTTAR PRADESH RECORD OF RIGHTS (COMPUTERIZATION) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2009

.

Short title Extent and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) (First Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall apply to all those areas where the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 or any subsidiary rules are applicable.
(3) They shall come into force with effect from the date of *Gazette*.

Amendment of rule 6

2. In Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) Rules, 2005 in rules 6-

(a) For sub-rule (4) set out in Column-1 below the sub-rule as set out in column-2 shall be *substituted* namely:-

COLUMN-1	**COLUMN-2**
Existing Sub-rule	***Sub-rule is hereby substituted***
(4) A Separate account shall be maintained in a Bank to be operated by the Sub-Divisional Magistrate and the amount received under sub-rule (3) shall be deposited every day in this account. This amount shall be spent on the maintenance and updating of Computer under the instruction of the Board of Revenue.	(4) A Separate account shall be maintained in a Bank to be operated by the Sub-Divisional Magistrate and the amount received under sub-rule (3) shall be deposited every day in this account. This amount shall be spent on activities related to strengthening modernization maintenance and operation of Tehsil Computer center under the instruction of Board of Revenue.

(b) *After* sub-rule (6) the following sub rules shall be *inserted*, namely:-

<u>COLUMN-1</u>	**<u>COLUMN-2</u>**
Existing Sub-rule	***Sub-rule is hereby substituted***
Insertion of new sub-rule (7), (8) and (9)	(7) As per orders of Collector/Sub Divisional Magistrate/Tehsildar extract of Computerized Khatauni will be provided free of charge for official purposes. (8) A Proper ledger/account-statement of all the amount received as user charges and of the various expenses made against such deposits/receipts shall be maintained. (9) All the receipts made under user charges and the expenses incurred against the same, shall be audited by Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad every year.

By order,

GOVINDAN NAIR,

Pramukh Sachiv

क्रम–संख्या–7(क–7)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0

डब्लू0/एन0पी0/91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 12 जनवरी, 2011

पौष 22, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग–4

....

संख्या–72/1–4–11–134बी–4–2002

लखनऊ, 12 जनवरी, 2011

....

अधिसूचना

सा0प0नि0–10

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1901 (यू0पी0 एक्ट संख्या 3, सन् 1901) की धारा 234 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियामावली बनाते हैः–

उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2011 कही जायेगी।

(2) यह उन सभी क्षेत्रों में लागू होगी जहां उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, 1901 या कोई भी सहायक लागू है।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 2 में उप नियम (घ) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

नियम–2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 में नियम–2 के उपनियम (घ) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम बढ़ दिया जायेगा, अर्थात

(ड.) इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर का तात्पर्य, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की, धारा–2 की उपधारा (1) के खण्ड (टी ए) में परिभाषित किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख के प्रमाणीकरण से है।

नियम–6 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में नियम–6 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपनियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
(3) किसी आवेदक द्वारा आवेदन –पत्र के साथ 15 रूपये की रकम जमा करके कम्प्यूटरीकृत खतौनी का एक उद्धरण तहसील काउन्टर से तत्काल प्राप्त किया जा सकता है ऐसे उद्धरण पर काउन्टर पर उपस्थित कार्मिक का नाम और दिनांक सहित हस्ताक्षर अंकित होगा।	(3) किसी आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र के साथ राज्य सरकार द्वारा विहित प्रयोक्ता प्रभार जमा करके कम्प्यूटरीकृत खतौनी का एक उद्धरण तहसील काउन्टर से तत्काल प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे उद्धरण पर काउन्टर पर उपस्थित कार्मिक का नाम और दिनांक सहित हस्ताक्षर अंकित होगा। किसी आवेदक द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से विभागीय वेबसाइट का उपयोग कर, कम्प्यूटरीकृत खतौनी का इलेक्ट्रानिकली हस्ताक्षरित उद्धरण प्राप्त किया जा सकता है, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित प्रयोक्ता प्रभार एवं सेवा प्रदाता का प्रभार लिया जायेगा।

आज्ञा से,
के0के0 सिन्हा,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 72/I-4-11-134B-4-2002, Dated January 12, 2011:

No. 72/I-4-11-134B-4-2002
Dated Lucknow, January 12, 2011

IN exercise of the powers under clauses (b) and (d) of sub-section (1) of 234 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act no. III of 1901) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (UP Act no. 4 of 1904) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) rules, 2005-

THE UTTAR PRADESH RECORD OF RIGHTS (COMPUTERIZATION) (SECOND AMENDMENT) RULES, 2011

Short title extent and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Record of rights (Computerization) (Second Amendment) Rules 2011.

(2) They shall apply to all those areas where the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 or any subsidiary rules are applicable.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rules 2

2. In the Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) Rules, 2005 herein after referred to as the said rules, in rule 2 after sub-rule (*d*) the following sub-rule shall be *inserted* namely:-

(e) 'Electronic Signature' means the authentication of any electronic record as-defined in clause (ta) of sub-section (1) of section 2 the information Technology Act-2000.

Amendment of rules 6

3. In the Rules 2005, in rule 6, for sub-rule (3) set out in column -1 below the sub-rule as set out column 2 shall be *substituted* namely:-

COLUMN-I ***Existing Sub-rule***	**COLUMN-II** ***Sub-rule is hereby substituted***
(3) An extract of Computerized Khatauni can be obtained immediately by an applicant by depositing a sum of Rs. 15/- along with the application from the Tehsil counter. Such extract will bear the name and dated signature of the official present at the Counter.	(3) An extract of Computerized Khatauni can be obtained immediately by an applicant by depositing user charges prescribed by the State Government along with the application from the Tehsil Counter. Such extract will bear the name and dated signature of the official present at the counter. An electronically signed extract of Computerized Khatauni can also be obtained by an applicant

though Internet by visiting the departmental website for which user charges prescribed by the State Government would be taken.

By order,
K.K. Sinha,
Pramukh Sachiv

क्रम–संख्या–97(क–1)

रजिस्ट्रेश नम्बर–एस0एस0पी0/एल0–

डब्लू0/एन0पी0/91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 29 मई, 2012

ज्येष्ठ 8, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–4

....

संख्या–620/1–4–12–134बी–4–2002

लखनऊ, 29 मई, 2012

....

अधिसूचना

सा0प0नि0–10

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1901 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 3, सन् 1901) की धारा 234 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (तृतीय संशोधन)

नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2) यह उन सभी क्षेत्रों में लागू होगी जहां यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1901 या कोई भी सहायक नियम लागू है।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम–6 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 में नियम–6 में–

(क) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप नियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(4) बैंक में एक पृथक खाता रखा जायेगा, जिसका संचालन परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा और उप नियम (3) के अधीन प्राप्त धनराशि प्रतिदिन इस खाते में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय राजस्व परिषद के निर्देश के अधीन तहसील कम्प्यूटर केन्द्र के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, अनुरक्षण एवं संचालन संबंधी कार्यों पर किया जायेगा।	(4) बैंक में एक पृथक खाता रखा जायेगा, जिसका संचालन परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा और उप नियम (3) के अधीन प्राप्त धनराशि प्रतिदिन इस खाते में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय राजस्व परिषद के निर्देश के अधीन तहसील कम्प्यूटर केन्द्र तथा राजस्व न्यायालयों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, अनुरक्षण एवं संचालन संबंधी कार्यों पर किया जायेगा किन्तु इस धनरााशि का व्यय तहसील परिसर के अंतर्गत निर्माण या मरम्मत आदि संबंधी किसी अन्य कार्य पर नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) or Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 620/I-4-12-134B-4-2002, Dated May 29, 2012:

No. 620/I-4-12-134B-4-2002
Dated Lucknow, May 29, 2012

In exercise of the powers under clauses (b) and (d) of sub-section (1) of section 234 of the U.P. Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act no. III of 1901) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (UP Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) rules, 2005.

THE UTTAR PRADESH RECORD OF RIGHTS (COMPUTERIZATION) (THIRD AMENDMENT) RULES, 2012

Short title, 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Record of Rights

extent and commencement — (Computerization) (Third Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall apply to all those areas where the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 or any subsidiary rules are applicable.
(3) They shall come into force with effect from the date of *Gazette*.

Amendment of rule6

2. In Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) Rules 2005 in rules 6-

(a) For sub-rule (4) set out in Column-1 below the sub-rule as set out in column-2 shall be substituted namely:-

COLUMN-I ***Existing Sub-rule***	**COLUMN-II** ***Sub-rule as hereby substituted***
(4) A Separate account shall be maintained in a Bank to be operated by the Sub-Divisional Magistrate and the amount received under sub-rule (3) shall be deposited every day in this account. This amount shall be spent on activities related to strengthening modernization maintenance and operation of Tehsil Computer Center under the instruction of Board of Revenue.	(4) A Separate account shall be maintained in a Bank to be operated by the Sub-Divisional Magistrate and the amount received under sub-rule (3) shall be deposited every day in this account. This amount shall be spent on activities related to strengthening modernization maintenance and operation of Tehsil Computer Center and Revenue Courts under the instruction of Board of Revenue, but this amount shall not be spent on any other activity related to construction or repairing in Tehsil Campus, etc.

By order,

ASHOK KUMAR,
Pramukh Sachiv

क्रम–संख्या–24(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0–
डब्लू0/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 11 फरवरी, 2021

माघ 22, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–4

....

संख्या–157/एक–4–2021–134बी–4–2002

लखनऊ, 11 फरवरी, 2021

....

अधिसूचना

सा0प0नि0–59

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 3, सन् 1901) की धारा 234 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है।

उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (चतुर्थ संशोधन)

नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह उन सभी क्षेत्रों में लागू होगी जहां उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 या कोई भी सहायक नियम लागू है।

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 में नियम–6 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपनियम (3) और (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थातः–

नियम 6 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(3) किसी आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र के साथ राज्य सरकार द्वारा विहित प्रयोक्ता प्रभार जमा करके कम्प्यूटरीकृत खतौनी का एक उद्धरण तहसील काउन्टर से तत्काल प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे उद्धरण पर उपस्थित कार्मिक का नाम और दिनांक सहित हस्ताक्षर अंकित होगा। किसी आवेदक द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से विभागीय वेबसाइट का उपयोग कर, कम्प्यूटरीकृत खतौनी का इलेक्ट्रानिकली हस्ताक्षरित उद्धरण प्राप्त किया जा सकता है, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित प्रयोक्ता प्रभार एवं सेवा प्रदाता का प्रभार लिया जायेगा।	(3) कोई आवेदक आवेदन पत्र के साथ रू0 15/– के प्रयोक्ता प्रभारों का संदाय करके तहसील काउन्टर से कम्प्यूटरीकृत खतौनी की एक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह कि पांच से अधिक पृष्ठों की खतौनी हेतु रू0 1.00 प्रति पृष्ठ की दर से अतिरिक्त प्रयोक्ता प्रभार संदेय होंगे। ऐसे उद्धरण पर काउन्टर पर उपस्थित पदधारी का नाम और दिनांक सहित हस्ताक्षर अंकित होगा। आवेदन द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से विभागीय वेबसाइट का उपयोग कर, कम्प्यूटरीकृत खतौनी का इलेक्ट्रानिकली हस्ताक्षरित उद्धरण प्राप्त किया जायेगा, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित प्रयोक्ता प्रभार एवं सेवा प्रदाता प्रभार लिया जायेगा।
(4) बैंक में एक पृथक खाता रखा जायेगा, जिसका संचालन परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा और उप नियम (3) के अधीन प्राप्त धनराशि प्रतिदिन इस खाते में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय राजस्व परिषद के निर्देश के अधीन तहसील कम्प्यूटर केन्द्र तथा राजस्व न्यायालयों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, अनुरक्षण एवं संचालन संबंधी कार्यों पर किया जायेगा, किन्तु इस धनरााशि का व्यय तहसील परिसर के अंतर्गत निर्माण या मरम्मत आदि संबंधी किसी अन्य कार्य पर नहीं किया जायेगा।	(4) किसी बैंक में एक पृथक खाता रखा जायेगा, जिसका संचालन परगना मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा और उपनियम (3) के अधीन प्राप्त धनराशि प्रतिदिन इस खाते में जमा की जायेगी। इस धनराशि का व्यय, राजस्व परिषद के अनुदेशों के अधीन राजस्व परिषद/मण्डल/जिला/तहसील कम्प्यूटर केन्द्रों, राजस्व न्यायालयों तथा राजस्व अभिलेखागारों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, अनुरक्षण और संचालन से संबंधित क्रियाकलापों पर और भू–अभिलेखों के अनुरक्षण, अद्यतनीकरण एवं आधुनिकीकरण पर किया जायेगा, किन्तु इस धनरााशि का व्यय निर्माण या मरम्मत संबंधी किसी अन्य क्रियाकलाप पर नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) or Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 157/1-4-2021-134B-4-2002, Dated February 11, 2021:

No. 157/1-4-2021-134B-4-2002

Dated Lucknow, February 11, 2021

IN exercise of the powers under clauses (b) and (d) of sub-section (1) of section 234 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act no. III of 1901) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (UP Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) Rules, 2005.

THE UTTAR PRADESH RECORD OF RIGHTS (COMPUTERIZATION) (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2021

Short title, extent and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) (Fourth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall apply to all those areas where the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 or any subsidiary rules are applicable.

(3) They shall come into force with effect from the date of publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 6

2. In the Uttar Pradesh Record of Rights (Computerization) Rules, 2005 in rule 6 for sub-rules (3) and (4) set out in column-1 below, the sub-rules as set out in column-2 shall be *substituted* namely:-

COLUMN-1 ***Existing Sub-rules***	**COLUMN-2** ***Sub-rules as hereby substituted***
(3) An extract of Computerized Khatauni can be obtained immediately by an applicant by depositing user charges prescribed by the state Government along with the application from the Tehsil counter. Such extract will bear the name and dated signature of the official present at the Counter. An electronically signed extract of Computerized Khatauni can also be obtained by an applicant through Internet by visiting the departmental website for which user charges prescribed by the State	(3) An applicant can get a digitally signed copy of the Computerized Khatauni from Tehsil counter on payment of user charges of Rs. 15/- along with the application: Provided that for a Khatauni having more than five pages, for every page in excess of five pages, additional user charges at the rate of Rs. 1.00 per page shall be payable. Such extract will bear the name and signature of the official present at the counter along with the date. An electronically signed extract of Computerized Khatauni

Government would be taken.	can also be obtained by an applicant through the Internet by visiting the department website for which user charges and service provider charges prescribed by the State Government would be taken.
(4) A Separate account shall be maintained in a Bank to be operated by the Sub-Divisional Magistrate and the amount received under sub-rule (3) shall be deposited every day in this account. This amount shall be spent on activities related to strengthening modernization maintenance and operation of Tehsil Computer Center and Revenue Courts under the instruction of Board of Revenue, but this amount shall not be spent on any other activity related to construction or repairing in Tehsil Campus, etc.	(4) A Separate account shall be maintained in a Bank which shall be operated by the Sub-Divisional Magistrate and the amount received under sub-rule (3) shall be deposited every day in this account. This amount shall be spent, under the instructions of the Board of Revenue on activities related to strengthening, modernization, maintenance and operation of Computer Centers, Revenue Courts, Revenue Archives of the Board of Revenue /Commissionery / District / Tehsil and on maintenance, updation and modernization of land records but this amount shall not be spent on any other activity related to construction or repair.

By order,
RENUKA KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv